

Proceedings of the minutes of special Board meeting held on 06.03.2018.

PRESENT

1. Brig. Sushil Sharma	-	President
2. Sh. Dhiraj Sonaje,	-	Member/Secretary
3. Shri Ramesh	-	Vice President
4. Shri Bhatti Tarun	-	Elected Member
5. Smt. Manjit Kaur	-	Elected Member
6. Smt. Madhu Bala	-	Elected Member
7. Sh. Harjit Singh	-	Elected Member
8. Sh. Prabhakar Sanjay	-	Elected Member
9. Smt. Neelam Kalia	-	Elected Member
10. Col. Naveen Maggo, Adm. Comdt.	-	Nominated Member
11. Col. S. Srivastava, CO, MH	-	Ex-Officio Member
12. Col. Ranjan Prabhu	-	Nominated Member
13. Major Rishi Katiyar, GE, MES	-	Ex-Officio Member

NOT PRESENT

1. Sh. Tajinder Pal Singh, ADC	-	DM's Nominee
--------------------------------	---	--------------

1. Discussion on office report in case of complaint by M/s J.D. Contractor against Elected Members namely Sh. Ramesh Kumar and Sh. Sanjay Prabhakar.


Board in earlier meeting decided to call for office report regarding the complaint by M/s J.D. Contractor. Office report is put up for consideration

Resolution No.1

Considered and approved. A detailed proposal forwarded to the Directorate, DE, WC, Chandigarh for necessary action. Dissent of the members are enclosed.



Dhiraj Sonaje, IDES
Chief Executive Officer
Cantonment Board
Amritsar Cantt
06.03.2018



(Brig. Sushil Sharma)
President Cantonment Board
Amritsar Cantt
06.03.2018

Dissent note

जो कैंटॉन्मेंट बोर्ड है कैंटॉन्मेंट बोर्ड के कर्मचारियों और आर्मी एम्प्लॉईस के फैसले करते हैं। कैंटॉन्मेंट बोर्ड को सिविलियन लोगों के झगड़ों को सुनने और निपटाने का कोई हक नहीं है। अगर कोई बोर्ड मेम्बर या कोई सिविलियन आपस में किसी तरह का लेनदेन करता है तो उस लेनदेन के बारे में कैंटॉन्मेंट बोर्ड को कोई हक नहीं है कि सिविलियन की दरखास्त लें और बोर्ड के किसी सदस्य को पड़ताड़ित करें और नोटिस इशू करें और कोई भी गैर कानूनी कारवाई करें। अगर कोई सिविलियन बोर्ड मेम्बर के साथ कैंटॉन्मेंट को बताए बगैर लेन देन करता है तो कैंटॉन्मेंट बोर्ड को कोई अथॉरिटी नहीं है कि उस पर कोई फैसला करे।

2. ये संबन्धित पुलिस स्टेशन का काम है और पुलिस ही कोई कारवाई कर सकती है। बोर्ड मेम्बर अपने निजी फैसले लेने का पूरा हक्क रखता है। वो अपने कारोबार और लेन देन के बारे में सब कुछ बताने में कैंटॉन्मेंट बोर्ड के बाध्य नहीं है। कैंटॉन्मेंट बोर्ड के मेम्बर पर कोई और कारोबार करने का प्रतिबंध नहीं है मैं 2014 से ट्रैक्टर ट्रॉली का कारोबार कर रहा हू। मेरे पास ट्रैक्टर ट्रॉली है जिस के आधार पर मैं उसे डेलि वेजेस पर किराए पर अलग अलग ठेकेदारों को देता हू जिसका वो मुझे किराया देते हैं। मैं साल 2015 से वरुण शर्मा के साथ संपर्क में हू। वो मुझसे मेरी ट्रैक्टर ट्रॉली किराए पर लेता रहा है और मुझे उसकी पेमेंट चेक द्वारा करता रहा है जिसकी सारी डीटेल मेरे अक्काउंट्स में है जो कि मैं आपके कहने पर आपको दिखा सकता हू। मैंने वरुण से पैसे लेने हैं जो कि ट्रैक्टर ट्रॉली का किराया बाकी रहता है जो कि यह मुझे नहीं दे रहा था। उस के लिए मैंने कोर्ट में रिकवरी सूट डाला है जिस से बचने के लिए ये कैंटॉन्मेंट बोर्ड का इस्तेमाल करके मुझे बोर्ड कि नज़रों में गिराना चाहता है और मेरे पैसे हड़प करना चाहता है इसके बारे में रमेश कुमार को पता है इसलिए इसने रमेश कुमार के खिलाफ भी झूठी शिकायत की है।

बियानकर्ता



Recorded in my presence and in Board meeting dated

06-03-2018 at 10:00 HRS.

Asenase

06.03.2018